No.1/08/2019-Coord.
Government of India
National Commission for Scheduled Tribes
******

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi -110003
Dated: 9th August, 2019

To,

1. Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson
2. Shri Hari Krishna Damor, Hon'ble Member
3. Shri Harshadbhai Chunilal Vasava, Hon'ble Member
4. Smt. Maya Chintamn Ivnate, Hon'ble Member

Subject: Summary Record of discussions of 117th Meeting of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) held on 17.07.2019 at 12:30 P.M.

Sir/Madam,

I am directed to refer to the above subject and to say that 108th meeting of the National Commission for Scheduled Tribes was held on 17.07.2019 at 12:30 P.M in the Conference Room of NCST at Lok Nayak Bhawan, New Delhi. The Meeting was presided over by Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes. A copy of the Summary Record of discussions of meeting is enclosed for information and record.

Yours faithfully,

(S.P Meena)
Assistant Director(Coord.)

Copy for necessary action, a copy of the Summary Record of discussions of 117th meeting of NCST is enclosed. The action taken report in the matter may be intimated to Coord. Section by 27.08.2019.

(i) Director (RU-II & RU-III)
(ii) Assistant Director (RU-II & Coordination)
(iii) Assistant Director (RU-I, Estt. & QL)
(iv) Assistant Director (Admn.)
(v) Research Officer (RU-IV)
(vi) Consultant(RU-III)

Copy for information:

1. Sr.PPS to Secretary, NCST
2. PS to Joint Secretary, NCST
3. Secretary, MoTA, Shastri Bhawan, New Delhi.
4. Director/Assistant Director/Research Officer in Regional Office of NCST at Bhopal/Bhubaneshwar/Jaipur/ Raipur/ Ranchi/Shillong
5. NIC, NCST for uploading on the website.

6292-98
13/8/19
जारी किया
ISSUED

National Commission for Scheduled Tribes

Minutes of the 117th Meeting held on 17-7-2019

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी) की 117 वीं बैठक में हुई चर्चा का कार्यवृत्त

(फाईल सं. 1/8/2019–समन्वय)

दिनांक : 17.07.2019

समय : 12.30 बजे

स्थान : सम्मलेन कक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, छठा तल, लोकनायक भवन, नई दिल्ली–110003.

अध्यक्षता : श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष।

प्रतिभागियों की सूची :

1. डॉ नंदकुमार साय, माननीय अध्यक्ष
2. सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष
3. श्री हर्षदभाई चुन्नीलाल वसावा, माननीय सदस्य
4. श्री हरिकृष्ण डामोर, माननीय सदस्य
5. श्री ए.के.सिंह, सचिव
6. श्री एस.के.रथ, संयुक्त सचिव
7. डॉ. ललित लट्टा, निदेशक
8. श्री एस.पी.मीना, सहायक निदेशक
9. श्री राकेश कुमार दुबे, सहायक निदेशक (प्रशासन)
10. श्री राजेश्वर कुमार, सहायक निदेशक (राजभाषा)
11. श्री वाई.के.बंसल, अनुसंधान अधिकारी
12. श्री आर एस मिश्रा, वरिष्ठ अन्वेषक
13. श्री आर.के.शर्मा, परामर्शक
14. श्री विकास कुमार शर्मा, कानूनी सलाहकार
15. के.पी.सिंह, सलाहकार

बैठक के लिए निर्धारित कार्यसूची मंदों पर चर्चा की गई और निम्नलिखित निर्णय लिया गए:

कार्यसूची मद संख्या 117.01	संविधान के अधिनियमन (दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव के संघ शासित प्रदेशों का विलय) (एक सौ और _____ संशोधन) विधेयक, **2019** पर ड्राफ्ट कैबिनेट नोट ।

(फ़ाइल संख्या. पॉलिसी /**2/2019 /** डीएन और डीडी / आरयू- I)

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने दिनांक 25.06.2019 के पत्र संख्या 20025/18/2019-एनसीएसटी के द्वारा मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टिप्पणियों के लिए संविधान के अधिनयमन (दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव के केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) (एक सौ और _____ संशोधन) विधेयक, 2019 पर ड्राफ्ट कैबिनेट नोट सहित गृह मंत्रालय से प्राप्त दिनांक 19.06.2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या यू -11011/2/2019 - यूटीएल की प्रति भेजी है।

कैबिनेट नोट में यह कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव देश के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, दादर एवं नगर हवेली की जनसंख्या 3.43 लाख (जिसमें से 1.78 अनुसूचित जनजाति) है जबकि दमन एवं दीव की जनसंख्या 2.43 लाख (जिसमें से 0.15 लाख अनुसूचित जनजाति) है। प्रशासनिक रूप से, दमन एवं दीव और दादर एवं नगर हवेली दोनों वर्ष 1783 से एक सामान्य प्रशासन के अधीन बने हुए हैं। गोवा के लेफ्टिनेंट गवर्नर, दमन एवं दीव वर्ष 1962 से 1987 तक दादरा एवं नगर हवेली के पदेन प्रशासक थे। बाद में, गोवा के राज्यपाल को वर्ष 1992 तक दोनों संघ शासित प्रदेशों का प्रशासक नियुक्त किया गया। तत्पश्चात, कैरियर सिविल सेवकों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया। वर्ष 2016 के अंत से वर्ष 2017 के प्रारंभ तक, दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक का संयुक्त प्रभार एक राजनीतिक इकाई व्यक्ति के पास है। दो केंद्र शासित प्रदेशों की छोटी आबादी और सीमित भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, अधिकारियों की सेवाओं का कुशलता से उपयोग नहीं किया जाता है। दो अलग-अलग संवैधानिक और प्रशासनिक संस्थाएँ होने के कारण बहुत अधिक दोहराव, अक्षमता और व्यर्थ व्यय होता है। माननीय प्रधान मंत्री ने "न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन" का मंत्र दिया है। दमन एवं दीव और दादर एवं नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेश का विलय करने से सरकारी खजाने के करोड़ों रुपये बचाने के

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अलावा दो केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के लिए इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एक बड़ा कदम होगा।

प्रस्ताव में दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव के केंद्र शासित प्रदेशों को एक केंद्र शासित प्रदेश में विलय करना है, जिसका नाम "दादर, नगर हवेली, दमन एवं दीव का संघ शासित प्रदेश" रखा जाना है। इस विलय की तुरंत जरूरत है क्योंकि इससे (i) सरकारी सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर वितरण होगा (ii) कार्य के दोहराव को कम करना और कार्यक्षमता में सुधार एवं (iii) प्रशासनिक व्यय और वित्तीय बचत में कमी होगी। प्रस्ताव में वित्तीय निहितार्थ हैं। इसके विपरीत यह वित्तीय बचत को बढ़ावा देगा।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

Agenda Item No.117.01	Draft Note for the Cabinet on Enactment of Constitution (Merger of Union Territories of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu) (One Hundred and _____ Amendment) Bill, 2019.

(F.No. Policy/2/2019/DN & DD/RU-I)

The Ministry of Tribal Affairs vide letter No. 20025/18/2019-NCST dated 25.06.2019 has forwarded the copy of the OM No. U-11011/2/2019-UTL dated 19.06.2019 from Ministry of Home Affairs along with Draft Note for the Cabinet on Enactment of Constitution (Merger of Union Territories of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu) (One Hundred and _____ Amendment) Bill, 2019 for comments of NCST.

It is stated in the draft Cabinet Note that the Union Territories of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu are located in the western region of the country. As per 2011 Census, the population of Dadra & Nagar Haveli is 3.43 lakhs (out of which 1.78 STs) whereas population of Daman & Diu is 2.43 lakhs (out of which 0.15 lakhs STs). Administratively, both Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli remained under a common administration since 1783. Lt. Governor of Goa, Daman & Diu was also the ex-officio Administrator of Dadra & Nagar Haveli from 1962 to 1987. Later, Governor of Goa was appointed Administrator of both the UTs till 1992. Thereafter, career civil servants have been posted as Administrators. Since late 2016 early 2017, the joint charge of Administrator of both the UTs have been held by a political person.

Considering small population and limited geographical area of the two UTs, the services of officers are not efficiently utilized. Having two separate constitutional and administrative entities is leading to lot of duplication, inefficiency and wasteful expenditure. The Hon'ble Prime Minister has given the mantra of "Minimum Government Maximum Governance". Merging the UT of Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli into one will be a big step to realize this vision for the people of the two UTs besides saving crores of rupees of Government exchequer.

The proposal is to merge the UTs of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu into one UT to be named as "the UT of Dadra, Nagar Haveli, Daman & Diu. This merger is immediately needed as the same would lead to (i) better delivery

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

of government services and welfare schemes (ii) reduce duplication of work and improve efficiency and (iii) reduction in administrative expenditure and financial savings.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, कैबिनेट नोट का मसौदा में निहित प्रस्ताव से सहमत है। तथापि, आयोग सिफारिश करता है कि नए केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया जाए।

(National Commission for Scheduled Tribes agreed with the proposal contained in the draft note for cabinet. However, the Commission recommends that a separate Department for the welfare and development of Scheduled Tribes may be set up in the new Union Territory.)

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

Additional Agenda itam No. 117.02	**Approval of draft special report on Rourkela Steel Plant, Odisha** राउरकेला इस्पात संयंत्र पर विशेष मसौदा रिपोर्ट पारित करने हेतु

ADDITIONAL AGENDA

आयोग ने रिपोर्ट का अनुमोदन किया और यह निर्णय लिया कि रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन संबंधित प्राधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए।

The Commission approved the report and decided that the recommendation in the report should be got implemented by the concerned authorities.

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

Additional Agenda Item No. 117.03	Subh Kamna Sandesh- Appointment of Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson NCST, as Governor to the State of Chhattisgarh. माननीय उपाध्यक्ष महोदया की माननीय राज्यपाल, छत्तीसगढ़ राज्य के पद पर नियुक्त होने पर शुभकामना संदेश।

ADDITIONAL AGENDA

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की तरफ से शुभकामना संदेश व्यक्त किया गया। उपाध्यक्ष महोदया ने पद पर रहते हुए समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लिए अपना पुरजोर योगदान दिया। उन्होंने समीक्षा बैठकों, सुनवाइयों और स्थलीय दौरों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों को न्याय दिलाने का सतत प्रयास किया, जिसके कारण आयोग में बड़ी संख्या में सफल प्रकरण दर्ज हुए। उन्होंने अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की समस्याओं के निवारण के लिए विशेष रूप से कार्य किया। ताकि आधी आबादी तक विकास योजनाओं का पहुँचना संभव हो सके। आयोग उनके विशेष योगदान की सराहना करता है और इसे अपने रिकॉर्ड पर लेता है। छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी काफी अधिक है तथा उनकी राज्यपाल के पद पर नियुक्ति पर आयोग उन्हें हार्दिक एवं मंगल शुभकामनाएं प्रेषित करता है तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है।

(आयोग सुश्री अनुसुईया उइके जी को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने पर बधाई देता है और राज्यपाल के रूप में कार्य करने के लिए शुभकामनाएं देता है। आयोग उपाध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल के दौरान अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए किए गए योगदान की सराहना करता है।)

(The Commission congratulated Miss Anusuiya Uikey, for being appointed as Governor of Chhattisgarh and wished her all the best in her work as Governor. The Commission also appreciated her contribution to the welfare of Scheduled Tribe people during her tenure as Vice-Chairperson in the National Commission for Scheduled Tribes.)

08.08.019

डॉ. नंद कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi